रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2007/फाल्गुन 15, 1928

No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2007/PHALGUNA 15, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2007

जांच शुरुआत

निर्णायक समीक्षा

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/6/2006 (एसएसआर) डीजीएडी.–वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन एवं उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का संकलन एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की शिफारिश की थी । प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणामों, अंतिम जांच परिणामों और संशोधन अधिसूचना को क्रमश: दिनांक 1-2-2002, 28-10-2002 की अधिसूचनाओं के माध्यम से और दिनांक 24-3-2005 को प्रकाशित किया गया था । जांच परिणामों तथा संशोधन के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित संबद्ध वस्तु पर अधिसूचना सं. 34/2002-सी.शु.,,दिनांक 28-3-2002, सं. 132/2002-सी.शु., दिनांक 29-11-2002 और सं. 51/2005-सी.शु., दिनांक 27-5-2005 के माध्यम से क्रमश: अनन्तिम शुल्क, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क तथा संशोधित निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था ।

2. समीक्षा हेतु अनुरोध

यत:, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो तो ऐसे शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है ।

और उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी उपाय की समाप्ति की तारीख से पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग या उसकी ओर से उचित रूप से प्रमाणित अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना अपेक्षित होता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुन: प्रारंभ होने की संभावना है।

और, यत:, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. दीपक नाइट्राइट लि., पुणे और मै. पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि., चंडीगढ़ (जिन्हें एतद्पश्चात् आवेदक कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष समीक्षा का अनुरोध करते हुए, उचित रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी मानते हैं कि पाटन को समाप्त करने के लिए ऐसे शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता और शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन, दोनों स्थितियों में क्षति के जारी रहने या पुन: प्रारंभ होने की संभावना की जांच करने के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क हेतु निर्णायक समीक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत करना उचित होगा ।

3. समीक्षा के लिए आधार

लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया है । अनुरोध इस तथ्य पर आधारित है कि यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु

के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है और संबद्ध देशों/क्षेत्र से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना है ।

आवेदक यह भी दावा करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को समाप्त करने का परिणाम घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति के रूप में होगा, अतः शुल्क को अगले पांच वर्षों तक जारी रखा जाना अपेक्षित है ।

4. जांच शुरुआत

समीक्षा की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता और शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना की समीक्षा करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार समीक्षा की शुरुआत करते हैं ।

5. विचाराधीन उत्पाद

निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित के समान अर्थात् अपने सभी रूपों में सोडियम नाइट्राइट है ।

सोडियम नाइट्राइट एक अकार्बनिक रसायन और अपचयन के साथ-साथ उपचयन कारक भी है । यह एक सफेद दानेदार पाउडर है जिसका प्रयोग प्रायः भेषज उद्योगों, रंजक उद्योगों, स्नेहकों, निर्माण रसायनों, रबड़ ब्लोइंग कारक, ऊष्मा स्थानांतरण लवणों, मांस प्रसंस्करण, टेक्सटाइल्स आदि में होता है ।

यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 2834.2901 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

6. प्रक्रिया

I. यह जांच निर्धारित करेगी कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना होगी । प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या यदि शुल्क को समाप्त अथवा उसमें परिवर्तन या दोनों कर दिया जाए तो क्षति के जारी रहने या पुनः प्रारंभ होने की संभावना है :–

(i) समीक्षा में अधिसूचना सं. 54/1/2001-डीजीएडी, दिनांक 24-3-2005 के साथ पठित 54/1/2001-डीजीएडी, दिनांक 28-10-2002 के सभी पहलू शामिल होंगे ।

(ii) इस समीक्षा जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपीय संघ है ।

(iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्तूबर, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 है । तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2003–मार्च, 2004; अप्रैल, 2004–मार्च, 2005; अप्रैल, 2005–मार्च, 2006 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

(iv) नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा में लागू होंगे।

II. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों/क्षेत्रों के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने हेतु पृथम रूप से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन,
नई दिल्ली 110011
फैक्स सं.-91-11-23063418

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है । सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्ष के लिए अन्य पक्षों को उसका अगोपनीय रूपान्तर उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

III. समय-सीमा

वर्तमान निर्णायक समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस निर्णायक समीक्षा संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना नहीं मिलती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

IV. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो, प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

डॉ. क्रिस्टी फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2007

INITIATION

(SUNSET REVIEW)

Subject : Initiation of Sunset Review of the definitive anti-dumping duty imposed on imports of Sodium Nitrite originating in or exported from European Union.

15/6/2006(SSR)-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs

Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on Imports of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from European Union (hereinafter referred to as subject countries/territory). The preliminary findings, final findings and amendment notification of the Authority were published *vide* notifications dated 1-2-2002, 28-10-2002 and on 24-3-2005 respectively. On the basis of findings and amendment, provisional duty, definitive anti-dumping duties and amended definitive duties on the subject goods imported from subject countries/territory were imposed by the Department of Revenue *vide* notifications Nos. 34/2002-Customs dated 28-3-2002, 132/2002-Customs dated 29-11-2002 and notification No. 51/2005-Customs dated 27-5-2005 respectively.

2. Request for Review

Whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

And notwithstanding the above provision the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

And whereas, in terms of the above provisions, M/s. Deepak Nitrite Ltd., Pune and M/s. Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd., Chandigarh (hereinafter referred to as applicant) representing the Domestic Industry have approached the Authority with a duly substantiated Application requesting for such a review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.

3. Grounds for Review

The request is for continuation of the anti-dumping duties in force. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on import of the subject goods from European Union and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries/territory. The applicant has further argued that expiry of the measure against these countries/territory would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicant also claims that revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry, therefore, the duty required to be continued for further period of five years.

4. Initiation

Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. Product under Consideration

Product under consideration in the sunset review is same as was defined in the original investigation *i.e.* Sodium Nitrite in all its form.

Sodium Nitrite is an inorganic chemical and is oxidizing as also a reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction, chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc.

It is classified under Custom Sub-heading 2834.2901 under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975.

6. Procedure

I. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both:

(i) The review will cover all aspects of Notification No. 54/1/2001-DGAD dated 28-10-2002 read with 54/1/2001-DGAD dated 24-3-2005.

(ii) The countries/territory involved in this review investigation are European Union.

(iii) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st October, 2005 to 30th September, 2006. The injury investigation period will however cover the periods April, 2003-March, 2004, April, 2004-March, 2005, April, 2005-March, 2006 and the POI.

(iv) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule *supra* shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

II. Submission of Information

The exporters in subject countries/territory, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner

prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and
Allied Duties,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Udyog Bhavan; New Delhi-11 0011.
Fax: 91-11-23063418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

III. Time Limit

Any information relating to the present sunset review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Sunset Review Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra*.

IV. Inspection of Public File

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. . CHRISTY FERNANDEZ,
Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.